AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना ताजगंज जनपद आगरा।   11.06.2022

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वाले शातिर अभियुक्त नीरज गुप्ता के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्की/सम्पत्ति जब्तीकरण (अनुमानित कीमत 2.25 करोड़ रुपये /-) की कार्यवाही.....

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफियाओं के विरूद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में, पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में सख्त एवं कठोर कार्यवाही करते हुये तथा इसी क्रम में मा0 जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश वाद संख्या – 4956/2022 सरकार बनाम अभियुक्त नीरज गुप्ता सम्बन्धित थाना ताजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 479/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अन्तर्गत धारा 14(1) अधि0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधि0, 1986 दिनांक 02.06.2022 के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 11.06.2022 को पुलिस अधीक्षक नगर आगरा, एसीएम द्वितीय, क्षेत्राधिकारी सदर,थाना प्रभारी ताजगंज व अन्य थानों के पुलिस बल द्वारा आपराधिक कृत्य कर, अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले /गैंगस्टर अभियुक्त नीरज गुप्ता के विरुद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश के अनुक्रम में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा अचल सम्पत्ति को ताला बन्दी कर सील सर्व मोहर किया गया ।

आम जनता को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति इन सम्पत्तियों को क्रय विक्रय न करे, यदि कोई व्यक्ति क्रय विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

अभियुक्तगण का विवरण :–

1. नीरज गुप्ता पुत्र स्व0 सुभाष गुप्ता निवासी टीला माईथान थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण :–

01. 90 वर्ग मीटर प्लॅाट।

02. व्यवसायिक दुकान व जायदाद।

कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपये है।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 479/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना ताजगंज जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं0 50/21 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कॉपी राइट एक्ट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

03. मु0अ0सं0 72/21 धारा 420/467/468/471/ भादवि व 63/65 कॉपी राइट एक्ट थाना ताजगंज जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।